-प्रेस नोट-

दिनांकः 13.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द,सहारनपुर पुलिस द्वारा 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा/ 01 जिंदा कारतूस 315 बोर, 02 चाकू नाजायज व 01 कार (ईको) बिना कागजात बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण , अवैध अस्लहों के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक देवबंद के कुशल नेतृत्व में दिनांक 12.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 03 शातिर **अभियुक्तगण 1. मनव्वर पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम बड्ढा थाना किठौर जनपद मेरठ 2. नूर मौहम्मद पुत्र मौहम्मद इरफान निवासी ग्राम कायस्थ थाना किठौर जनपद मेरठ 3. अकरम पुत्र जुल्फकार निवासी भनेडा खास थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को ग्राम मकबरा के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त मनव्वर उपरोक्त के कब्जे से 01 तमंचा /01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, अभियुक्त नूर मौहम्मद उपरोक्त से 01 चाकू रामपुरी नाजायज व अभियुक्त अकरम उपरोक्त के कब्जे से 01 चाकू रामपुरी नाजायज एंव 01 कार ईको रजिस्ट्रेंशन नम्बर UP15DW- 6268 बिना कागजात की बरामद हुई ।बरामद कार को धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम में सीज की गयी। बरमामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना देवबंद पर मु0अ0सं0 179/2024 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त ने एक स्वर में बताया कि हम देवबंद से ग्राम बन्हेडा खास किसी काम से जा रहे थे। गाँव बन्हेडा खास मे हमारी कुछ लोगो से रंजिश है जिस कारण हम अपनी सुरक्षा के लिये तमंचे और चाकू अपने साथ लेकर गये थे।

बरामदगी का विवरण-

- 01 तमंचा / 01 जिंदा कारतूस 315 बोर
- 02 नाजायज रामपुरी चाकू
- 01 कार ईको रजि0नं0UP15DW6268 बिना कागजात।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः–

1. मनव्वर पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम बड्ढा थाना किठौर जनपद मेरठ ।
2. नूर मौहम्मद पुत्र मौहम्मद इरफान निवासी ग्राम कायस्थ थाना किठौर जनपद मेरठ।
3. अकरम पुत्र जुल्फकार निवासी ग्राम भन्हेडा खास थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त मनव्वर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं094/21 धारा 452/506 भादवि थाना किठौर जनपद मेरठ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. उ0 नि0 विकास चारण थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
3. का0 976 गौरव दागी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
4. का0 2008 ऋषभ देशवाल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

दिनांक- 13.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 480 ग्राम नाजायज अवैध चरस व 01 मोटरसाईकिल बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियन्त्रण , नशा तस्करी की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 12.04.2024 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 01 शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त सावेज पुत्र नसीम उर्फ कल्लू निवासी ग्राम गदेवड़ा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को ग्राम जयसिंघा वाला रास्ता से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त सावेज उपरोक्त के कब्जे से **480 ग्राम नाजायज अवैध चरस** व **01 सुपर स्प्लेड़र मोटरसाईकिल** बरामद हुयी । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त सावेज उपरोक्त के विरूद्ध थाना फतेहपुर पर **मु0अ0सं0 76/24 धारा 8/20/60(3) एनडीपीएस एक्ट** पंजीकृत किया गया तथा बरामद मोटर साईकिल को अन्तर्गत धारा 207 एम0वी0 एक्ट में सीज किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय समक्ष के पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त सावेज उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि यह चरस मैने आने जाने वाले ट्रक ड्राइवरों से सस्ते दाम पर बेचने के लिये खरीदी थी, जिनका नाम पता मै नही जानता हूँ। इस चरस को मै आने जाने वाले लोगों व आस पास के क्षेत्रों में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सावेज पुत्र नसीम उर्फ कल्लू निवासी ग्राम गदेवड़ा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 74/23 धारा 3/5क/8 सीएस एक्ट थाना गागलहेड़ी सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 114/23 धारा 380/411 भादवि थाना फतेहपुर सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 143/23 धारा 380 भादवि थाना फतेहपुर सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 380/19 धारा 3/5क/8 सीएस एक्ट थाना फतेहपुर सहारनपुर।
5. मु0अ0सं0 16/20 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर।
6. मु0अ0सं0 125/19 धारा 307 भादवि थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर।
7. मु0अ0सं0 126/19 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर।
8. मु0अ0सं0 79/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना फतेहपुर सहारनपुर।
9. मु0अ0सं0 140/19 धारा 307 भादवि थाना फतेहपुर सहारनपुर।
10. मु0अ0सं0 141/19 धारा 3/5 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना फतेहपुर सहारनपुर।
11. मु0अ0सं0 144/17 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फतेहपुर सहारनपुर।

12. मु0अ0सं0 379/19 धारा 147/148/307 भादवि थाना फतेहपुर सहारनपुर।
13. मु0अ0सं0 595/20 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना फतेहपुर सहारनपुर।
14. मु0अ0सं0 255/20 धारा 283 गैंगस्टर एक्ट थाना फतेहपुर सहारनपुर।
15. मु0अ0सं0 293/23 धारा 3/5क/8 सीएस एक्ट थाना कोतवाली देहात सहारनपुर।
16.मु0अ0सं0 76/24 धारा 8/20/60(3) एनडीपीएस एक्ट थाना फतेहपुर सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण

- 480 ग्राम अवैध चरस बरामद
- 01 सुपर स्प्लेड़र मोटरसाईकिल रजि0 नं0 UP11BH-8158

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री सौरभ यादव थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
2.उ0नि0 कृष्ण कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
3. है0का0 24 सुनील कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
4. है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।

दिनांकः 13.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष श्री सन्दीप कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 13.04.2024 को थाना गगालहेड़ी पुलिस टीम द्वारा 01 वारंटी **अभियुक्त सचिन पुत्र राकेश निवासी ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वाद स0 413/22 धारा 420 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम को कैलाशपुर की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

सचिन पुत्र राकेश निवासी ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0सं0 108/13 धारा 420 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0 नि0 पुष्पेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।
2. है0का0 629 धर्मेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।

दिनांकः 13.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण , वांछित/वारण्टी अभियुतक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सन्दीप कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 13.04.2024 को 01 वारंटी **अभियुक्त प्रवीन पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम हरियाबांस थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर को** सम्बन्धित वाद स0 1423/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना गागलहडी में उसके घर ग्राम हरियाबांस के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

प्रवीन पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम हरियाबांस थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0सं0 227/2015 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0 नि0 अनित यादव थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।
2. है0 का0 831 सोनू ढाका थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।
3. का0 398 नरदेव थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।

दिनांकः 13-04-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि दिनाँक 17.02.24 को वादी श्री सुनील पुत्र वेदसिंह निवासी मौ0 संजय कालौनी कस्बा व थाना बेहट जिला सहारनपुर ने एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त अनुज कुमार पुत्र कंवरपाल निवासी ग्राम पनियाली कासमपुर थाना नागल जिला सहारनपुर द्वारा धोखा धडी कर महिलाओ के फर्जी कागजात बनाकर फाईनेन्स कम्पनी से 49,99066/- रुपये निकालकर हडप लेने के सम्बन्ध मे थाना बेहट पर मु0अ0सं0 53/2024 धारा 420,/406,467/468/471/,120बी भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गए। इसी आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना बेहट के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 13.4.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे वांछित अभियुक्त **अनुज कुमार पुत्र कंवरपाल निवासी ग्राम पनियाली कासमपुर थाना नागल जिला सहारनपुर** को इसके घर ग्राम पनियाली से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम व पताः-

अनुज कुमार पुत्र कंवरपाल निवासी ग्राम पनियाली कासमपुर थाना नागल जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।

2. व0उ0नि0 श्री मेहर सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।

3.का0 1594 मोहित धामा थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर।

4. का0 1344 राहुल राणा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 13-04-2024

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियन्त्रण, एवं वांछित / वारन्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 13/04/2024 को एक वारण्टी अभियुक्त **टीटू उर्फ मच्छर पुत्र प्रेमचन्द नि0 मौहल्ला टाकान कस्बा व थाना गंगोह सहारनपुर** सम्बन्धित **वाद स0 8577/23 मु0अ0स0 13/09 धारा 380/411 भादवि** माननीय न्यायालय ए0सी0जे0एम सहारनपुर को उपरोक्त से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त/वारण्टी का नाम व पताः-

टीटू उर्फ मच्छर पुत्र प्रेमचन्द नि0 मो0 टाकान कस्बा व थाना गंगोह सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 13/10 धारा 380/411 भादवि गंगोह जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 सन्दीप सिंह थाना गंगोह जिला सहारनपुर

2.का0 1606 दीपक थाना गंगोह सहारनपुर

3.का0 1718 अंकित धामा थाना गंगोह जिला सहारनपुर

दिनांक- 13.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 06 वारन्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित / वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रवेश सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 13.04.2024 को 06 वारन्टी अभियुक्त **1.मोतीराम पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम जाटोवाला थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0 10608/23 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम चालानी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर **2.पंकज पुत्र सहीराम निवासी ग्राम जाटोवाला थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0 2501/19 धारा 420/406 भादवि चालानी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर **3.सलीम पुत्र जिन्दा निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0 2266/19 धारा 379/411 भादवि चालानी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर **4.अब्दुल रहमान पुत्र मौहम्मद अनवर निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0 2163/21 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम चालानी थाना मिर्जापुर सहारनपुर **5. नसीम पुत्र रिजवान निवासी ग्राम रहना थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0 2162/21 धारा 3/25 आयुध अधिनियम व वाद सं0 1271/21 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम चालानी थाना मिर्जापुर सहारनपुर **6. शराफत पुत्र यामीन निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर सहारनपुर** वाद स0 199/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना मिर्जापुर सहारनपुर को मुखबिर की सूचना पर उनके घर से को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगणों के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों के नाम व पता –

1.मोतीराम पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम जाटोवाला थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. पंकज पुत्र सहीराम निवासी ग्राम जाटोवाला थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
3. सलीम पुत्र जिन्दा निवासी व थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
4. अब्दुल रहमान पुत्र मो0 अनवर निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
5. नसीम पुत्र रिजवान निवासी ग्राम रहना थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
6. शराफत पुत्र यामीन निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी –

1. उ0नि0 सतेन्द्र कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 यशपाल सिंह थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 भूपेश शर्मा थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

4. हेका0 638 प्रमोद कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
5. हेका0 424 संजय धामा थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
6. का0 2284 श्रीकृष्ण थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 13.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तंमचा व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण, अवैध शस्त्रों की तस्करी की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष श्री सन्दीप कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 13.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर अभियुक्त **बादल पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम सम्भलहेडी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर** को खतौली बस स्टैण्ड से खतौली की सडक से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद हुये। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना गागलहेडी पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध **मु0अ0सं0 062/2024 धारा 3/25 आमर्स एक्ट** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त बादल उपरोक्त ने बताया कि साहब मैने यह तमन्चा काफी दिनों पहले एक कबाडी से खरीदा था। यह तमन्चा मै आम जनता मे अपना रोब जमाने के लिये रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

बादल पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम सम्भलहेडी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

- 01 तमंचा 12 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. थानाध्यक्ष श्री सन्दीप कुमार थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।
2. उ0नि0 लोकेन्द्र थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।
3. का0 398 नरदेव गागलहेडी जिला सहारनपुर।

दिनांकः 13.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ, पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 07 ग्राम स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण एवं मादक पदार्थो की तस्करी की रोकथाम एंव इसमे संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 13.04.2024 को चैंकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना बिहारीगढ पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त रिजवान पुत्र फैज मौहम्मद निवासी ग्राम सतपुरा थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर** को ग्राम खुशहालीपुर नदी के पुल के पास से गिरफ्तार किया गया । जिसके कब्जे से 07 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई । बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना बिहारीगढ पर **मु0अ0सं0 71/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट** पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष समय से पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त रिजवान उपरोक्त ने बताया कि मुझे नशे की लत है। मैं स्मैक पीने व बेचने के लिये बाहर से खरीदकर लाता हूँ। जिसे मैं थाना बिहारीगढ व आसपास के क्षेत्र में अधिक दामों में बेचकर मुनाफा कमाता हूँ। आज भी मैं इस स्मैक को पीने वाले व्यक्तियों को बेचने के लिये लाया था, कि पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड लिया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रिजवान पुत्र फैज मौहम्मद निवासी ग्राम सतपुरा थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 26/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 142/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 226/2021 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 71/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री बिजेन्द्र सिंह थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
2. है0का0 107 सोनू पायला थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
3. का0 2375 मोहित थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 13.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 अवैध छुरे बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध शस्त्रों के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 13.04.2024 को थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर 02 शातिर अभियुक्तगण **1- नावेद पुत्र जीशान निवासी लोहानी सराय ऊंची मस्जिद के सामने थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर, 2- मुन्तजीर पुत्र गालिब निवासी दाबकी गुर्जर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** को कच्चे 62 फुटा रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से **01-01 अवैध छुरा** बरामद हुए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 122/2024 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण नोवद व मुन्तजीर उपरोक्त ने बताया कि ये छुरा हम लोगो को डराने व धमकाने के लिये रखते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1- नावेद पुत्र जीशान निवासी लोहानी सराय ऊंची मस्जिद के सामने थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

2- मुन्तजीर पुत्र गालिब निवासी दाबकी गुर्जर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 02 अवैध छुरा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री सचिन पूनिया थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 31 सुभाष थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का0 1823 श्रवण थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 13-04-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस के समक्ष हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त ने किया आत्मसमर्पण, निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 पिस्टल, 01 खोखा/ 01 जिन्दा कारतूस व 01 मोबाईल बरामद

बरामदगी का विवरण-

- 01 पिस्टल
- 01 जिन्दा कारतूस 7.65 बोर
- 01 खोखा कारतूस 7.65 बोर
- 01 मोबाईल फोन (आईफोन कम्पनी)

अवगत कराना है कि दिनांक 07.04.2024 को वादी श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र वेदपाल सिंह निवासी ग्राम सहसपुर जट्ट थाना नकुड जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीरी सूचना बावत अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी के पुत्र आदित्य उम्र करीब 18 वर्ष की गोली मारकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 110/24 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गये। इसी आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 12.04.24 को मुकदमा उपरोक्त में विवेचना उपरान्त प्रकाश में आये **अभियुक्त कार्तिक पुत्र ओमवीर निवासी ग्राम बाधी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** ने पुलिस कार्यवाही से भयभीत होकर थाना नकुड़ पर आकर आत्मसमर्पण किया। अभियुक्त कार्तिक की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 पिस्टल, 01 खोखा/01 जिन्दा कारतूस 7.65 बोर तथा अभियुक्त कार्तिक का मोबाईल फोन (आईफोन 8 प्लस) बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोकत के विरूद्ध मुकमदा उपरोक्त में धारा 34 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गई। दिनांक 10.04.24 को पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमें में प्रकाश में आये अभियुक्तगण रणदीप व जोनी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त कार्तिक उपरोक्त ने बताया कि मैं कक्षा 12 वी तक पढ़ा लिखा हूँ। मेरी मृतक आदित्य से करीब दो वर्षो से जान पहचान थी। मुझे शराब पीने की लत है जिसकी वजह से अक्सर मेरे पास रुपयो की तंगी रहती थी। मैंने शराब पीने के लिये मृतक आदित्य से करीब 06 माह पहले पाँच हजार रूपये दो चार दिन के

लिये कहकर उधार ले लिये थे। मैं रोज अपनी शराब पीने की लत के कारण आदित्य के पैसे वापस नही कर पा रहा था । जिस कारण आदित्य मुझसे बार – बार मेरे दोस्तो के सामने मुझसे पैसे माँगता था और मेरी बेज्जती करता था। इसी बात को लेकर कई बार मेरे और आदित्य के बीच गाली गलौच व हाथापाई भी हुई। उक्त कारणो से मैं आदित्य से बहुत परेशान हो गया था । मैंने अपने दोस्त रणदीप को सारी बातें बतायी तथा हमने आदित्य को मार देने का प्लान बनाया। मैनें अपने दूसरे दोस्त जोनी को भी अपने इस प्लान में शामिल कर लिया। हम तीनों लोगों ने एक राय होकर यह प्लान बनाया कि जोनी आदित्य को रात्री के समय अपने गांव के पास बन रहे शामली अम्बाला हाईवे पर ले आयेगा और वहीं पर हम लोग उसकी गोली मारकर हत्या कर देंगे। इसी प्लान के अनुसार मैनें व रणदीप ने दिनांक 06.04.2024 को पूरे दिन शराब पी और शाम को हम दोनों लोग पूर्व योजना के मुताबिक रणदीप की मोटरसाइकिल पर सवार होकर निर्माणाधीन शामली अम्बाला हाईवे पर पहुँच गये जहाँ पर हमारा साथी जोनी आदित्य को लेकर करीब रात्रि को 09.30 बजे ही पहुँच गया था ।आदित्य ने वहाँ भी मुझसे रुपये माँगे तभी रणदीप ने आदित्य का गला पकड़ लिया और जोनी ने आदित्य के हाथ पकड़ लिये थे तथा मैनें अपनी पैंट से पिस्टल निकालकर 01 गोली आदित्य की पीठ में मार दी थी जिससे वह नीचे गिर गया तभी रणदीप ने भी अपने साथ लिये तमंचे से 01 गोली उसके सीने पर मार दी थी। आदित्य को गोली मारने के बाद उसकी जेब में रखे मोबाईल फोन को मैनें व पर्स को रणदीप ने ले लिया था। उसके बाद मैं और रणदीप मोटरसाइकिल से हरियाणा की तरफ भाग गये थे और जोनी को कहा कि इस बात के सम्बन्ध मे गांव में किसी को कुछ भी नहीं बताना है । मैने मृतक आदित्य का मोबाईल फोन उसी दिन अम्बाला शामली हाईवे पर यमुना नदी के पास बन रहे रोड के रेत में छुपा दिया था तथा जिस पिस्टल,खोखा कारतूस को भी अपने गांव से आगे यमुना नदी की तरफ बने हुए बांध के पास एक ईख के खेत में छुपा दिया था। मैंन अपने मोबाईल फोन को अपने साथी सूरज को दे दिया था। बाद में मुझे पता चला कि दिनांक 10.04.24 को रणदीप व जोनी को पुलिस ने पकड़ लिया है । पुलिस द्वारा पकडे जाने के डर मैने अपने पिता के साथ थाने आकर आत्मसम्पर्ण कर दिया तथा घटना में प्रयुक्त 01 पिस्टल, 01खोखा/ 01 जिंदा कारतूस व 01 मोबाइल फोन पुलिस को बरामद करा दिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

कार्तिक पुत्र ओमवीर निवासी ग्राम बाधी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

अभियुक्त कार्तिक उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 136/23 धारा 25 आर्म्स एक्ट व 29बी आर्म्स एक्ट चालानी थाना छछरौली जिला यमुनानगर हरियाणा

2.मु0अ0सं0 583/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना हसनपुर जिला अमरोहा उ0प्र0

3.मु0अ0सं0 1113/2020 धारा 379/411 भादवि चालानी थाना मझोला जिला मुरादाबाद उ0प्र0

4.मु0अ0सं0 536/2020 धारा 379/411 भादवि चालानी थाना गजरौला जिला अमरोहा उ0प्र0

5.मु0अ0सं0 537/2020 धारा 379/411 भादवि चालानी थाना गजरौला जिला अमरोहा उ0प्र0,

6.मु0अ0सं0 538/2020 धारा 102/41 दं0प्र0सं0 व 414/420 भादवि चालानी थाना गजरौला जिला अमरोहा उ0प्र0

7.मु0अ0सं0 393/2020 धारा 379/411 भादवि चालानी थाना डिडोली जिला अमरोहा उ0प्र0

8.मु0अ0सं0 110/24 धारा 302/34 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

अभियुक्त की निशादेही से बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।

2. उ0नि0 श्री सत्येन्द्र शर्मा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री नरेन्द्र भड़ाना थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 886 सचिन ढाका थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
5. का0 1003 प्रवीण अहलावत थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।